न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 10.5.2023 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:18:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
525/2022	28-10-2022	10/05/23

उनवान

01. राजपाल पुत्र श्री हुकमा
02. गिन्दो देवी पत्नी स्व0 श्री भगवानसहाय
03. रमेश
04. राजेश
05. विक्रम सिंह
06. भगत सिंह
07. भवानी सिंह पुत्रान स्व0 श्री भगवान सहाय
08. बुधी पत्नी स्व0 श्री चिरंजी
09. वेदप्रकाश पुत्र स्व0 श्री चिरंजी जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम आलमपुर भिवाडी पूर्व तहसील तिजारा, हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0)

——:: वादीगण

(बनाम)

01. वीरपाल पुत्र स्व0 श्री वंशी
02. कृष्णा
03. चन्द्रो
04. सन्तोष पुत्रीयान स्व0 श्री प्रभा
05. टिम्मो देवी पत्नीस्व0 श्री प्रभा
06. रामकिशन
07. होराम पुत्रान स्व0 श्री प्रभा
08. कर्मवीर
09. रणजीत
10. सुखवीर पुत्रान स्व0 श्री जयसिंह
11. सावित्री पत्नी स्व0 श्री जयसिंह
12. मुकेश
13. मनोज
14. सरिता पुत्रीयान स्व0 श्री जयसिंह
15. राकेश
16. राजकुमार

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:18:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

र पुत्रान स्व0 श्री वीरसिंह पुत्र स्व0 श्री जयसिंह
बाई पत्नी स्व0 श्री वीरसिंह पुत्र स्व0 श्री जयसिंह जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम आलमपुर पूर्व
सील तिजारा, हाल तहसील टपूकडा जिला अलवर (राज0)
ज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील टपूकडा जिला अलवर

-----:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकराररहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मईम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: संशोधित निर्णय ::–

वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 278 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा यानि है0 में प्रतिवादीगण 1 लगायत 18 में नामित हिस्सा वाके ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा जिला वर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी जो कि बंशी दत्तक पुत्र लेखा व प्रभा पुत्र मंगलिया, यसिंह पुत्र हरिसिंह नवीरा मंगलिया की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी उपरोक्त विवादित आराजी बंशी का 1/3 भाग व प्रभा व जयसिंह का 1/6 भाग निहित था उपरोक्त पूर्व खातेदारान बंशी ने अपने 1/3 भाग में से 1/6 भाग तथा प्रभा व जयसिंह ने 1/6 भाग का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 22.10.1980 को मिन वादी राजपाल व भगवानसहाय पुत्र हुकमा तथा चिंरजी पुत्र बहाल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम आलमपुर ने समभाग में बाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर दिया। जिसका बयनामा दिनांक 22.10.1980 को उपपंजीयक कार्यालय टपूकडा के यहां निष्पादित कराया गया। मिन वादी राजपाल, भगवानसहाय व चिरंजी आराजी के सदभावी केता काबिज आराजी हो गये और उक्त बयनामा की प्रति हल्का पटवारी को वास्ते इंतकाल दर्ज करने के लिए दे दिया और हल्का पटवारी ने इंतकाल दर्ज व मंजूर कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आश्वासन दिया। मिन राजपाल, भगवानसहाय व चिंरजी खरीदशुदा आराजी पर काबिज व दाखिल कर काश्त कारोबार करना आरम्भ कर दिया और मिन वादी राजपाल, भगवानसहाय व चिरंजी का ही खरीदशुदा आराजी पर वास्तविक कब्जा रहा है। इसी दौरान खरीददारान भगवानसहाय व चिरंजी का देहान्त हो गया। भगवानसहाय के विधिक वारिसान वादीगण संख्या 2 लगायत 7 है तथा चिरंजी के विधिक वारिसान वादीगण संख्या 8 व 9 है। जो मिन वादी राजपाल के साथ काबिज व दाखिल चले आ रहे है। हल्का पटवारी ने सहबन से बयनामा दिनांक 20.10.1980 के अनुसार इंतकाल मिन वादी व भगवानसहाय तथा चिरंजी के ... दर्ज व स्वीकार नहीं किया और पूर्व की भांति विक्रेतागण बंशी, प्रभा व जयसिंह के नाम का अमल ... और बंशी प्रभा व जयसिंह का भी देहान्त हो गया है जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 है जिनको उक्त बेचान की पूरी पूरी जानकारी रही है लेकिन इन्होने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को गुमराह कर बयनामा के तथ्यों को छुपाते हुये गलत तरीके से विरासत इंतकाल अपने नाम दर्ज व मंजूर कराकर राजस्व रिकार्ड में अमल करा दिया। जो गलत अमल प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 18 के नाम का चला आ रहा है। पंजीकृत बयनामा दिनांक 22.10.1980 के अनुसार वादीगण आराजी के काबिज मालिक है। प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:18:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

यत 18 के नाम विवादित आराजी का चला आ रहा गलत अमल, हम वादीगण के हकूकों के वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्द है, प्रभाव शून्य है, जिसे इसी कदर बातिल वो बेअसर करार अधिकारी है। हम वादीगण बयनामा दिनांक 22.10.1980 के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 1 के अमल में से मिन वादी संख्या 1 अपने नाम 1/3 भाग, वादीगण संख्या 2 लगायत 7 हाय के वारिसान) अपने नाम 1/3 भाग व वादीगण संख्या 8 व 9 (चिंरजी के वारिसान) अपने 3 भाग तक हजफ कराकर खातेदार काश्तकार घोषित कराकर ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पाने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 त 18 बावजूद तामील अनुपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई

हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अवलोकन ा। प्रस्तुत बयनामा दिनांक 22.10.1980 के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है। ी द्वारा दिनांक 09.05.2023 को प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 152 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया जो ीकार कर निर्णय में संशोधन किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 278 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर पर बंशी के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा 1/3 भाग में से 1/6 भाग तथा प्रभा व जयसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 18 का 1/6 भाग से नाम हजफ किया जावें एवं उक्त रकबे पर वादी संख्या 1 को 1/3 भाग, वादीगण संख्या 2 लगायत 7 (भगवानसहाय के वारिसान) को 1/3 भाग व वादीगण संख्या 8 व 9 (चिंरजी के वारिसान) को 1/3 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
किशनगढ़ (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:18:58 IST
Reason: SelfAttested